



149/2026/1/147357/2026

प्रेषक,

हरीश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 23 सितम्बर, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में विभिन्न निर्माण कार्यों की मूल्यांकित टेण्डर कास्ट के आधार पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- एमई/निर्माण/2026-27/147, दिनांक 15.07.2026 का कृपया संदर्भ गृहण करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में विभिन्न निर्माण कार्यों की मूल्यांकित टेण्डर कास्ट के आधार पर संशोधित पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश दिनांक 18.06.2026 में दिये गये निर्देशानुपालन में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या हेतु निम्नलिखित कार्यों हेतु पूर्व में स्वीकृत लागत (कॉलम-4 के अनुसार) को संशोधित करते हुए टेण्डर के उपरान्त प्राप्त लागत (कॉलम-5 के अनुसार) की निम्न विवरणानुसार पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(रु0 लाख में)

क्र0	परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत, जिसे संशोधित किया जा रहा है	टेण्डर के उपरान्त प्राप्त लागत, जिसकी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है
1	2	3	4	5
1	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के दर्शन नगर कैम्पस में 100 शैय्या इन्टर्नशिप हास्टल सिंगल सीटेंड का निर्माण कार्य	सी0एण्ड डी0एस0	शासनादेश दिनांक 14.02.2025 द्वारा स्वीकृत लागत रु0 1846.84 लाख	1837.35
2	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के गंजा कैम्पस में 100 शैय्या यू०जी० गर्ल्स हास्टल का निर्माण कार्य	सी0एण्ड डी0एस0	शासनादेश दिनांक 14.02.2025 द्वारा स्वीकृत लागत रु0 1381.26 लाख	1376.21
3	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के दर्शन नगर कैम्पस में	सी0एण्ड डी0एस0	शासनादेश दिनांक 14.02.2025 द्वारा	1384.98

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	100 शैय्या ब्यायज हास्टल सिंगल सीटेड का निर्माण कार्य		स्वीकृत लागत रु0 1392.91 लाख	
4	स्वशासी महाविद्यालय, अयोध्या में चहारदीवारी व गेट (04 नग) निर्माण कार्य	सी0एण्ड डी0एस0	शासनादेश दिनांक 29.12.2025 द्वारा स्वीकृत लागत रु0 408.69 लाख	408.15

- 3- उपर्युक्त प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है:-
- (1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28-03-2026 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
 - (2) वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 17.05.2023 एवं 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (3) व्यय वित्त समिति/पी0एफ0ए0डी0 द्वारा लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
 - (4) प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।
 - (5) प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे, जिससे कास्ट ओवर रन एवं टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
 - (6) किसी भी वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।
 - (7) शासनादेश दिनांक 14.02.2025 तथा 29.12.2025 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।
- 4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-100/दस-2026-27, दिनांक 17 सितम्बर, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरीश कुमार)

उप सचिव।

संख्या- तद् दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।